315 20 सीपीएसई की महिला कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं अर्थात् मातृत्व अवकाश और शिशु देखभाल अवकाश में समानता

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि सीपीएसई की महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश और शिशु देखभाल अवकाश जैसी सुविधाएं प्राप्त हैं। तथापि, जहाँ तक अधिकतम दिनों, जिनके लिए ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, की संख्या विभिन्न सीपीएसई में अलग–अलग हैं और कुछ मामलों में यह पाया गया है कि महिला कर्मचारियों के एक वर्ग विशेष को एक निश्चित किस्म का अवकाश देने के लिए छोड़ दिया गया है (सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड)। इस संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र महिला मंच (डब्ल्यूआईपीएस) से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं।

2. वर्तमान में केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित सुविधाएं हैं:

(क) अधिकतम 180 दिनों की अवधि तक का मातृत्व अवकाश (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 11 सितम्बर, 2008 का का.ज्ञा.सं.13018/2/2008–स्था. (एल))

(ख) अधिकतम 2 वर्ष की अवधि अर्थात् 730 दिनों तक के लिए शिशु देखभाल अवकाश (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 11 सितम्बर, 2008 तथा 29 सितम्बर, 2008 का का.ज्ञा.सं. 13018/2/2008–स्था. (एल))

(ग) अधिकतम 180 दिनों की अवधि तक का शिशु दत्तक अवकाश (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 22 जुलाई, 2008 का का.ज्ञा.सं.13018/1/2009–स्था. (एल))

(घ) इसके अतिरिक्त, परिवार के लाभ के लिए 15 दिनों की अवधि के लिए पितृत्व अवकाश का प्रावधान है (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 16 जुलाई, 1999 का का.ज्ञा.सं.13018/2/1998–स्था. (एल))

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध तथा प्रतितोष) अधिनियम, 2013 दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है।

3. सीपीएसई, यदि आवश्यक है तो, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से अपने संबंधित बोर्डों के अनुमोदन से अपने एच.आर. नियम तैयार कर सकते हैं। महिला कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने के हित में इन एच.आर. नियमों में सभी सांविधिक प्रावधानों को अनिवार्यतः शामिल करें। अन्य कल्याण उपायों के संबंध में सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को अपने संबंधित बोर्डों के अनुमोदन से केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के अनुरूप अपने नियमों में एक समानता लाने के लिए उनकी प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई को सलाह देने का अनुरोध है। किसी भी स्थिति में उपक्रम के भीतर विभिन्न ग्रेड के कर्मचारियों के बीच इस प्रकार के उपायों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

[डीपीई का.ज्ञा.सं.6 (1)/2014–डीपीई (जीएम), दिनांक 18 जून, 2014]

*****